



उ०प्र० लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए-२/ई-१/२०२१
दिनांक: ०५.०३.२०२१

समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा—२०२१

आन—लाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि:— ०५.०३.२०२१

आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि:— ०१.०४.२०२१

आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की

अन्तिम तिथि:— ०५.०४.२०२१

महत्वपूर्ण

यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित / आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका भिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।

विशेष सूचना:— (क) “बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।”

(ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नं० और मान्य ई—मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं० पर भविष्य में सभी सूचनाएं / निर्देश एसएमएस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई—मेल उनके मान्य ई—मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

आन—लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [website http://uppsc.up.nic.in](http://uppsc.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु “आन—लाइन” आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन—लाइन आवेदन ही करें।

“आन—लाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:—

1. आयोग की [Website http://uppsc.up.nic.in](http://uppsc.up.nic.in) पर “ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- 1- User Instructions
- 2- View Advertisement
- 3- Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें “आन—लाइन आवेदन पद्धति” लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन—लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा—निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन—लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित “Sample Snapshots” भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु “Apply” पर Click करें।

“आन—लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :—

प्रथम स्तर – Apply Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भांति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो Edit button पर Click करें, भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात ‘Submit’ बटन पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात ‘Print registration Slip’ प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर – प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर “Click here to proceed for payment” के पास “Fee to be deposited [in INR]” प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS (Multi Option Payment System) का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे। (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES, उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात “Payment Acknowledgment Receipt (PAR)” प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट ‘Print Payment Receipt’ पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

त्रृतीय स्तर – द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ‘Proceed for final submission of application form’ पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवश्यक (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन—लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-१ में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद “PREVIEW” को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही—सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आन—लाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “Submit” बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही—सही निर्देशानुसार आन—लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक “Submit” बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा “Submit” बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आन—लाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “Submit” बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क : आन—लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :—

(i) अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग	परीक्षा शुल्क ₹ 100/- + आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 125/-
(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	परीक्षा शुल्क ₹ 40/- + आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/-
(iii) दिव्यांग श्रेणी	परीक्षा शुल्क NIL + आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक	परीक्षा शुल्क ₹ 40/- + आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/-
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / महिला	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ०प्र० लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित करने / प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थीयों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयेजित होने वाली समस्त परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।	
4. सबमिट किये गये आवेदन में संशोधन:	आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया आनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित / वापस नहीं किया गया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थीयों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:—
“अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा। Click करने के पश्चात "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender) निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात Verification Code अंकित करने के बाद 'Proceed Button' पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात अभ्यर्थी का 'Authentication OTP (one time password)' को द्वारा होगा। OTP अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं० पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application	

जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है" को रिट याचिका संख्या- 11039 / 2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक-09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475 / 2019 में मा। न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। (2) आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (3) उ0प्र० के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी / उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (4) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के अश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण / आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। <p>8. आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तेः- (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या-22 / 10 / 1976 -कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना / नौ सेना / वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अप्डरेटिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना स्वयं के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्यूटी प्रदान की गई हो।</p> <p>9. वैवाहिक प्रारूपिति :- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।</p> <p>10. शैक्षिक अर्हता: आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तरमें करें, किन्तु करिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हतायें भी हैं जिनका विवरण निम्नान्त है:-</p>			<p>उ0प्र० लोक सेवा आयोग</p> <p>(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।</p> <p>(ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है।</p> <p>(ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "ओ" स्तर का प्रमाण-पत्र।</p> <p>नोट:- अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।</p>
1. समीक्षा अधिकारी (लेखा)	उ0प्र० सचिवालय	<p>उ0प्र० सचिवालय</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।</p> <p>(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में "ओ" स्तरीय प्रमाण-पत्र।</p> <p>(3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान।</p>	
2. समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)	उ0प्र० सचिवालय	<p>उ0प्र० सचिवालय</p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हेतु परीक्षा द्वारा शुल्क रु 70/- एवं आवेदन करना होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार / संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन / प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (5) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच अन्तिम परिणाम घोषित होने के बाद होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। (6) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>नोट :- मुख्य परीक्षा के स्तर पर अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं आन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियों से यथा समय माँगी जायेगी, जो अन्तिम होगी और तत्पश्चात उनमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार / संशोधन हेतु परीक्षा शुल्क रु 70/- एवं आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग रु 95/- निर्धारित है। उ0प्र० के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा उ0प्र० की महिला अभ्यर्थी जिस श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।</p>	
3. समीक्षा अधिकारी (उर्दू)	उ0प्र० सचिवालय	<p>उ0प्र० सचिवालय</p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थाप</p>	

—continued.—

शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर, आवेदन पत्र /अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग आवेदन पत्र की सरसरी जाँच के आधार पर अभ्यर्थियों को औपचारिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अर्थर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगा। (11) कदाचार्य अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नं०, जन्मतिथि, पिता / पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे। (15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (16) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्याइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (17) अभ्यर्थी OMR Answer Sheet की सभी प्रविष्टियाँ सही—सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदाती होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटर, ब्लॉड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये। (18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। (19) प्रारम्भिक /मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:— 1. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर में से एक उत्तर सही होता है, किर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक /मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता /चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक /मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता /चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे। (21) अभ्यर्थियों से सामान्य हिन्दी के अनिवार्य प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे। (22) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी /कठुरचित submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

- अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आरक्षण /आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी /आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आंत्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण /आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्धारित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाये कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हतायें आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आंत्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र /पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री /पुत्री की पुत्री, विवाहित /अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या-453 /79—वी-1—15—1(क)14—2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन /आपाधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन /चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लित पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
- यदि अभ्यर्थी को आन—लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई /समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-2 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-04 व परिशिष्ट-05 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration. The candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option either to agree or

disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

Notification Details :

This section shows information relevant to Notification

Personal Details

This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, candidate's name, Father/Husband's name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email ID and contact number.

Other Details of Candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army service duration and your physical deformity.

Education & Experience Details

Its shows your educational and experience details.

Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time, if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE]

For other Information: For other Information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in>

CANDIDATE SEGMENT


NOTIFICATIONS/ADVT'S
All Notifications/Advertisements
ONLINE FORM SUBMISSION
1. Candidate Registration (First Stage)
2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)
3. Submit Application Form (Third Stage)
APPLICATION FORM STATUS
Update your transaction ID by Double Verification mode View Application Status
List of Applications Having photo related Objections
Print Duplicate Registration Slip
Print Detailed Application Form
EXAMINATION SEGMENT
Print Address Slip for sending Documents to commission [Only for Direct Recruitment]
DOWNLOAD SEGMENT
Download Admit Card
Download interview letter
Download Syll

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

(4)

6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-



परिशिष्ट – 2

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जाएगी वे निम्न प्रकार हैं:- आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर और वाराणसी।

अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला / केन्द्रों की संख्या घटायी / बढ़ाई जा सकती है।

परिशिष्ट – 3

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र—I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण—पत्र

प्रमाण—पत्र संख्या— दिनांक—

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिनकोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्राप्त है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है।

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
I.II अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्राप्त फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर इथित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान:-

दिनांक:-

उ.प्र. के दिव्यांगों के लिए प्रमाण—पत्र

DISABILITY CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.

Date

DISABILITY CERTIFICATE

Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum. son/wife/daughter of Shri age Sex identification mark(s) is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.

- (ii) BA-Both arms affected

- Impaired reach

- Weakness or grip

- (iii) BLA-Both legs and both arms affected

- (iv) OL-One leg affected (right or left)

- Impaired reach

- Weakness of grip

- Ataxic

- (v) OA-One arm affected

उत्तरो लोक सेवा आयोग

(5)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/ not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.
3. Percentage of disability in his/her case is percent.
4. Sh./Smt./Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her duties:
 - (i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No
 - (ii) PP-can perform work by pulling & pushing. Yes/No
 - (iii) L-can perform work by lifting. Yes/No
 - (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. Yes/No
 - (v) B-can perform work by bending. Yes/No
 - (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No
 - (vii) ST-can perform work by standing. Yes/No
 - (viii) W-can perform work by walking. Yes/No
 - (ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No
 - (x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No
 - (xi) RW-can perform work by reading and writing. Yes/No

(Dr.)
Member
Medical Board

(Dr.)
Member
Medical Board

(Dr.)
Chairperson
Medical Board
Countersigned by the
Medical Superintendent/
CMO/HQ Hospital
(with seal)

Strike out which is not applicable.

उत्तरो लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्री का पुत्र) / पौत्री (पुत्र की पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
पूरा नाम
मुहर
जिलाधिकारी
सील

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण—पत्र के फार्म — 1 से 4 प्रारूप — 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ि के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ि के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	पद
	संस्था का नाम
	पता
	मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ि के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	पद
	संस्था का नाम
	मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ि के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	पद
	संस्था का नाम
	मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट — 4

परीक्षा योजना तथा प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

1— सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)

समय— दो घन्टे	प्रश्न— 140	पूर्णांक— 140
1. सामान्य विज्ञान, 2. भारत का इतिहास, 3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, 4. भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, 5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, 6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में), 7. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, 8. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, 9. सामान्य बौद्धिक क्षमता, 10. उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन—सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी।		

2— सामान्य हिन्दी (प्रारम्भिक परीक्षा)

(सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण) (वस्तुनिष्ठ) (Objective)

समय— एक घन्टा	प्रश्न— 60	पूर्णांक— 60
(i) विलोम	(10 शब्द)	
(ii) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि	(10 वाक्य)	
(iii) अनेक शब्दों के एक शब्द	(10 शब्द)	
(iv) तत्सम एवं तदभव शब्द	(10 शब्द)	
(v) विशेष्य और विशेषण	(10 शब्द)	
(vi) पर्यायाचारी शब्द	(10 शब्द)	

योग— 200 अंक

परिशिष्ट — 5

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

1— सामान्य अध्ययन (प्रारम्भिक परीक्षा जैसा)	प्रश्न— 120	पूर्णांक— 120
समय— दो घन्टे		
2— सामान्य हिन्दी एवं आलेखन		

continued..

उत्तरोत्तर लोक सेवा आयोग

(6)

खण्ड—1 (परम्परागत) (Subjective)			
समय— ढाई घन्टे		पूर्णांक— 100	
(1) दिये हुए गदांश का शीर्षक, सारांश एवं तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या	3+6+12	21 अंक	करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नगत दोनों पदों हेतु अपात्र माना जायेगा। उपर्युक्त पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र माने जायेगे, जिन्होंने अपने आन—लाइन आवेदन में उक्त पदों हेतु दावा किया है एवं प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सफल घोषित किये गये हैं। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की मेरिट का निर्धारण सभी अभ्यर्थियों के साथ मुख्य परीक्षा में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अन्तिम चयन सूची में अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के निर्धारण में उक्त अर्हकारी प्रश्न—पत्रों के अंकों को नहीं जोड़ा जायेगा।
(2) किसी दिये हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप (Tabular Form) में सार लेखन।		15 अंक	उपरोक्त पदों हेतु अनुवाद सम्बन्धी प्रश्नपत्रों का पाठ्यक्रम निम्नवत् है—
(3) पत्राचार		24 अंक	Syllabus for Samiksha Adhikari (Hindi)
(i) शासकीय/अद्वृद्धशासकीय पत्र			Translation from English to Hindi and from Hindi to English
(ii) कार्यालय आदेश/ज्ञाप/परिपत्र			Max Marks- 100
(iii) विज्ञप्ति/टिप्पण एवं प्रतिवेदन/अनुस्मारक			Time- 3 Hrs.
(4) परिभाषिक शब्दावली (प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली)			
(i) अंग्रेजी से हिन्दी	(पांच शब्द)	10 अंक	Part-1
(ii) हिन्दी से अंग्रेजी	(पांच शब्द)	10 अंक	(Translation from English to Hindi)
(iii) मुहावरे तथा लोकोक्तियां	(केवल 05)	10 अंक	Syllabus
(5) कम्प्यूटर ज्ञान		10 अंक	1- Translation from English to Hindi of an extract from a Press Communique, Press Article or Government Resolution. 30 Marks
खण्ड — 2			2- Translation from English to Hindi of a section or some Sections of an Act of the legislature. 10 Marks
सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण (वस्तुनिष्ठ) (Objective)			3- Explanation of common expressions, clichés etc, which might be met with in either of the above, technical-official words. 10 Marks
समय— आधा घन्टा		पूर्णांक— 60	
(i) विलोम	(6 शब्द)	12 अंक	
(ii) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि	(6 वाक्य)	12 अंक	
(iii) अनेक शब्दों के एक शब्द	(6 शब्द)	12 अंक	
(iv) तत्सम एवं तदभव शब्द	(6 शब्द)	12 अंक	
(v) विशेष्य और विशेषण	(6 शब्द)	12 अंक	
3— हिन्दी निबन्ध		पूर्णांक— 120	
समय— तीन घन्टे			Part-2
इस प्रश्न पत्र के अन्तर्गत तीन प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक—एक शीर्षक (क/ख/ग) का चयन करते हुए (दी गयी शब्द सीमा में) कुल तीन निबन्ध लिखने होंगे।			(Translation from Hindi to English)
(1) (क) साहित्य और संस्कृति	शब्द सीमा 600	40 अंक	4- Translation of a portion of news paper article, speech, letter etc. 30 Marks
(ख) सामाजिक क्षेत्र			5- Translation of words and expressions commonly used in the above circumstances into idiomatic equivalents in English. 10 Marks
(ग) राजनीतिक क्षेत्र			6- Explanation of common expressions, clichés, etc, which might be met with in either of the above, technical-official words. 10 Marks
(2) (क) विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी	शब्द सीमा 600	40 अंक	
(ख) आर्थिक क्षेत्र			Syllabus for Samiksha Adhikari (Urdu)
(ग) कृषि एवं व्यापार			Translation from English to Urdu and from Urdu to English
(3) (क) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम	शब्द सीमा 600	40 अंक	Max Marks- 100
(ख) प्राकृतिक आपदायें—भूस्खलन, चक्रवात, भूकम्प, बाढ़, सूखा इत्यादि।			Time- 3 Hrs.
(ग) राष्ट्रीय विकास योजनायें		120+160+120=400	
समीक्षा अधिकारी (हिन्दी) तथा समीक्षा अधिकारी (उर्दू) पदों हेतु अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम		Part-1	
सम्बन्धी विशेष अनुदेश: —		(Translation from English to Urdu)	
मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी (हिन्दी) तथा समीक्षा अधिकारी (उर्दू) पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अनुवाद के पृथक से एक—एक अर्हकारी प्रकृति (Qualifying Nature) के अतिरिक्त प्रश्न पत्र होंगे। उक्त प्रश्न—पत्र परम्परागत प्रकारक होंगे, जिनकी समयावधि 3 घंटे तथा पूर्णांक 100 होगा। समीक्षा अधिकारी (हिन्दी) एवं समीक्षा अधिकारी (उर्दू) के पदों हेतु अधिमान्यता प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को अनुवाद के उक्त प्रश्न—पत्र में न्यूनतम 33% अर्थात् 100 में 33 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 33% से कम अंक प्राप्त		1- Translation from English to Urdu of an extract from a Press Communique, Press Article or Government Resolution. 30 Marks	
		2- Translation from English to Urdu of a section or some Sections of an Act of the legislature. 10 Marks	
		3- Explanations of common expressions, clichés, etc, which might be met with in either of the above, technical-official words. 10 Marks	
		Part-2	
		(Translation from Urdu to English)	
4- Translation of a portion of news paper article, speech, letter etc. 30 Marks			
5- Translation of words and expressions commonly used in the above circumstances into idiomatic equivalents in English. 10 Marks			
6- Explanation of common expressions, clichés, etc, which might be met with in either of the above technical-official words. 10 Marks			
		सचिव	